न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—2024 / 209 दर्ज तिथिः—12.06.2024

1. पूनमाराम पुत्र सोनाराम
   जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर।

...........प्रार्थी

बनाम

1. उका पुत्र ईसरा
2. चुना पुत्र ईसरा
3. नगा पुत्र ईसरा
4. पुरखा पुत्र ईसरा
5. मीरा पत्नी खेराजराम
6. अचला पुत्र इसराराम
7. आदु पुत्र इसराराम
8. खेराज पुत्र इसराराम
9. पदमा पुत्र इसराराम
10. ताजाराम पुत्र लिखमा
11. बाबुलाल पुत्र लिखमा
12. गेरोदेवी पत्नी लिखमा
13. रामुराम पुत्र चिमनाराम
14. धुड़ीदेवी पत्नी पुनमाराम
15. पदमा पुत्र हरजी
16. पेमा पुत्र हरजी
17. पेमाराम पुत्र जगा
18. पुरखा पुत्र जगा
19. बींजा पुत्र हरजी
20. मुकना पुत्र हरजी
21. रामुराम पुत्र चिमनाराम
22. सुरजन पुत्र हरजी
23. सांवलाराम पुत्र पुनमाराम
24. किशना पुत्र हरजी
25. गुमना पुत्र जगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

26. गोरधन पुत्र हरजी
27. दुर्गा पुत्र हरजी
28. आसुराम पुत्र लालाराम
29. कुंभा पुत्र भगा
30. लालाराम पुत्र भगा
31. शेरा पुत्र भगा
32. सांवलाराम पुत्र लालाराम
33. हीराराम पुत्र लालाराम
34. अचलाराम पुत्र केसराराम
35. आदुराम पुत्र केसराराम
36. पुनमाराम पुत्र केसराराम
37. भीमाराम पुत्र केसराराम
38. मूलाराम पुत्र केसराराम
39. हीरालाल पुत्र केसराराम
40. अनाराम पुत्र मुलाराम
41. केसराराम पुत्र भूराराम
42. हरचंदराम पुत्र मूलाराम
    जातियान जाट निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
43. आसुराम पुत्र मानाराम
44. कालुराम पुत्र ईसराराम
45. जयकिशन पुत्र ईसराराम
46. बाबुलाल पुत्र ईसराराम
47. भंवरलाल पुत्र ईसराराम
48. हराराम पुत्र सालुराम
49. कोजाराम पुत्र पेलादराम
50. पुनमाराम पुत्र पेलादराम
51. पेम्पोदवी पत्नी पेलादराम
52. रामलाल पुत्र पेलादराम
    जातियान विश्नोई निवासी बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
53. करनाराम पुत्र सामाराम जाति कलबी निवासी वाली

.................असल अप्रार्थीगण

54. मैनेजर बी सी सी बी शाखा गुड़ामालानी
55. तहसीलदार गुड़ामालानी

.................तकमिली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः–श्री डालूराम चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

पुनमाराम बनाम उका
2024 / 209
निर्णय दिनांकः–29.09.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–29.09.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 590 / 392 / 9.3569 है0, 593 / 418 / 2.2175 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थी काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेश दिनांक 16.04.2024 की पालना में दिनांक 16.05.2024 को खसरा संख्या 590 / 392 / 9.3569 है0, 593 / 418 / 2.2175 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी का पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 16.05.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 07, 08, 11, 13 के अतिरिक्त समस्त असल अप्रार्थीगण विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 07, 08, 11, 13 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी को सीमाज्ञान / मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी का पत्रांक भू.अ. / 2025 / 1090 दिनांक 04.07.2025 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.06.2025 को मौके पर जाकर तैयार निर्धारित प्रपत्र में मौका रिपोर्ट मय नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 16.05.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की आराजी को छोड़ते हुए नेखमबंदी करने पर सहमति जाहिर की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—****(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत 2073—2076 जमाबंदी 2078(वर्ष 2021) से स्थायी ग्राम बांतो की ढाणी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बांतो की ढाणी में अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 16.05.2024 से भी यह तथ्य साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested

जा चुकी है। मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 590/392/9.3569 है0, 593/418/2.2175 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार मण्डल सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीनाआर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.10 11:38:26 IST
Reason: SelfAttested